



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940

No. 175]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/ PHALGUNA 16, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

सा.का. नि. 200(अ).—केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 में शब्दों 'राष्ट्रीय सुरक्षा अनापत्ति' के पश्चात, ' , जहां कहीं आवश्यक हो, ' शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियम में, नियम 18 में, उप नियम (2) में, खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

“(i) प्रस्ताव सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय आय अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, विहित मूल्य वर्धित आय अपेक्षाएं, यथास्थिति लागू होंगी।”

4. उक्त नियम में, नियम 19 में, —

(क) उप नियम 6 (क), खण्ड (1) में,

(i) शब्दों "अनुमोदन बोर्ड" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रखा जाएगा।

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा अर्थात् :-

"परंतु 2 माह की उक्त अवधि के पश्चात आवेदन प्रस्तुत करने के मामले में, देरी की औचित्य की जांच की जाएगी और अनुमोदन पत्र के नवीनीकरण के लिए अनुरोध पर योग्यता एवं परिस्थितियों पर विकास आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा।"

(ख) उप नियम (6ख) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(6ख) अनुमोदन पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया को, निम्न मानदंडों पर, किए गए प्रयास और परिणाम या स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा: -

(i) अंतिम ब्लाक में इकाई का निर्यात निष्पादन।

(ii) सृजित रोजगार।

(iii) इकाई की कार्य प्रणाली से संबंधित लागू कानूनों के उल्लंघन के मामले।

(iv) कानूनी संदाय में चूक के मामले, यदि कोई हो।

(v) कोई ऐसा कार्यकलाप शुरू करना जो विकास आयुक्त द्वारा मंजूरी अथवा अनुमोदित न हो।

(vi) इस संबंध में विकास आयुक्त अथवा अनुमोदन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और एक इकाई द्वारा नियम 55 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील के मामलों के सिवाए इकाई पर बाध्यकारी होगा।

5. उक्त नियम में, नियम 43 में, खंड (घ) के पश्चात, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

" परंतु यह कि:-

(i) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयाँ और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ इकाइयाँ जो दूरसंचार विभाग के साथ अन्य सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, के कर्मचारियों, अस्थायी रूप से अधिकार युक्त यात्रा कर रहे और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के ऑफसाइट कर्मचारियों को, घर से या विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है; अर्थात्:-

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के नियमित कर्मचारी जिन्हें नियम 70 के उप-नियम (2) के अनुसार पहचान पत्र जारी किया गया हो, उस इकाई से संबंधित कार्य करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

(ख) कर्मचारी को घर से कार्य करने की दी गई अनुमति के लिए दिया गया कार्य विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के लिए स्वीकृत सेवाओं के अनुसार होगा, और यह कार्य विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई की एक परियोजना से संबंधित होगा।

(ग) घर से कार्य करने के उद्देश्य के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई, कर्मचारी और विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई की परियोजना से संबंधित कार्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप और सुरक्षित कनेक्टिविटी (जैसे वास्तविक प्राइवेट नेटवर्क, वास्तविक डेस्कटाप अवसंरचना) प्रदान करेगी।

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई, उस विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई जिसके साथ कर्मचारी नियुक्त है, द्वारा परिणामी उत्पादों या सेवाओं के निर्यात राजस्व का लेखा जोखा सुनिश्चित करेगी और किसी भी स्थिति में घर से किए जाने वाला कार्य विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के बाहर की सेवाओं के निर्यात में सम्मिलित नहीं होगा।

(ङ.) कर्मचारी की विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई की परियोजना में सेवाएं समाप्त कर दिए जाने पर कर्मचारी को संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई से हटा दिया जाएगा और नियम 70 के उप-नियम (2) के अनुसार निर्दिष्ट अधिकारी को पहचान - पत्र सौंप देगी।

(ii) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा इकाइयाँ उपरोक्त (i) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई में अपना जॉब - कार्य पूरा करेंगी।

(iii) ऐसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयाँ, जो अन्य सेवा प्रदाता के रूप में दूरसंचार विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत हैं और घर से कार्य करने का लाभ उठा रही हैं, उन विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों का दूरसंचार विभाग द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित निर्धारित अन्य सेवा प्रदाता दिशानिर्देश, का पालन किया जाएगा।”।

6. उक्त नियम में नियम 46 में, उप-नियम (1) में, खंड (ग) में, 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' शब्दों के पश्चात 'योजना के लिए' शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:- अर्थात्,-

“53 शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन - यूनिट धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगी जिसकी गणना उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए समग्र रूप से निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार की जाएगी:-”

धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा =क-ख>0

जहाँ,-

क: निर्यातों का बोर्ड पर्यन्त निशुल्क मूल्य हैं जिसमें यूनिट द्वारा नेपाल और भूटान से पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा निर्यात और विशेष आर्थिक जोन में उनके उत्पादों की आपूर्ति का निम्नलिखित मूल्य, का मूल्य भी है, अर्थात्:-

(क) अग्रिम प्राधिकार के या वार्षिक आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्राधिकार या अधीन विदेश व्यापार नीति के अधीन शुल्क छूट या माफी स्कीम के अधीन कर मुक्त आयात प्राधिकार के संबंध में माल की आपूर्ति;

(ख) विदेश व्यापार नीति के अधीन निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति;

(ग) बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों द्वारा या उन अभिकरणों की प्रक्रियाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित निधियों, जिनमें सीमा शुल्क सम्मिलित किए बिना निविदा मूल्यांकन के लिए विधिक करारों में व्यवस्था है, द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;

(घ) किसी परियोजना या प्रयोजन हेतु जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अधीन सीमा-शुल्क मुक्त माल के आयात की अनुमति दी हो;

(ड.) संयुक्त राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके राजकीय कार्यों या उक्त संयुक्त राज्यों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति की गई हो और ऐसे संगठनों की सूची और ऐसी आपूर्तियों के लिए मान्य स्थितियाँ जिन्हें समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो,

(च) नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को माल की आपूर्ति परन्तु यह और कि वे विदेश व्यापार नीति में विहित शर्तों के अनुसार हो;

(छ) विदेश व्यापार नीति के अधीन माल की निःशुल्क आयात की विशेष हकदारी के अधीन आपूर्ति;

(ज) विशेष आर्थिक जोन के भीतर प्रदान की गई सेवा या घरेलु टैरिफ क्षेत्र में प्रदत्त और मुक्त विदेशी मुद्रा में देय सेवाओं या ऐसी सेवाएं जो भारतीय मुद्रा में प्रदान की गईं जो की अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में देय मानी गईं हो सहित सेवा यूनिटों द्वारा सेवाओं का निर्यात;

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी करार की मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक मदें यथा-मॉनीटरों के लिए रंगीन डिस्प्ले ट्यूबों और रंगीन मॉनीटरों के लिए विक्षेप संघटक या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य मदों की आपूर्ति;

(ञ) उसी या अन्य विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख यूनिट अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर – प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट में अन्य यूनिटों और विकासकर्ताओं को आपूर्ति; परन्तु ऐसे माल और सेवाएं, ऐसी यूनिटों और विकासकर्ताओं के लिए आयात या उपापन के लिए अनुज्ञेय हो;

(ट) किसी मुक्त व्यापार एवं भाण्डागारण जोन की यूनिट द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा पर माल की आपूर्ति ।

स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि खण्ड (ज) के अंतर्गत आपूर्तियाँ यथा-लागू उपापन प्रमाण – पत्र पर की जाएंगी और खण्ड (घ) से (छ) के अधीन आपूर्तियाँ केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संबंधित शुल्क छूट के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार की जाएगी।

ख: इसमें निम्नलिखित की रकम सम्मिलित होंगी-

(क) सुसंगत अवधि के दौरान प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रयुक्त सभी आयातित निविष्टियों की लागत बीमा और भाड़े मूल्य की कुल रकम तथा उच्च समुद्र आधार पर क्रय किए गए माल सहित यद्यपि इसके लिए भुगतान भारतीय रूपए में किया गया हो और निर्यात कमीशन, स्वामित्व, शुल्क, लाभांशों पहले पांच वर्षों की अवधि के दौरान निर्यात कमीशन, स्वामित्व, शुल्क, लाभांशों, बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज या कोई अन्य प्रभारों के रूप में से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी संदायों का मूल्य;

(ख) अन्य यूनिट या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट से या वचनबद्ध भाण्डागारों से प्राप्त या भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से उपाप्त माल या नाम निर्दिष्ट अभिकरणों से उपाप्त बहुमूल्य धातुओं का मूल्य;

(ग) शुल्क मुक्त आयातित या किसी पट्टादाता कम्पनी से पट्टे पर लिए गए, निशुल्क और यूनिट के पास बने रहने की अवधि के लिए ऋण उधारों पर या अंतरण पर प्राप्त पूंजीगत माल के यथानुपात लागत बीमा भाड़े सहित माल और सेवाओं का लागत बीमा भाड़ा मूल्य ।

स्पष्टीकरण:- खंड (क) के प्रयोजनों के लिए “ निविष्टियों” से कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती, संघटक, खपत योग्य वस्तुएं, पुर्जे और पैकिंग सामग्री अभिप्रेत है।

(घ) शुद्ध विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना हेतु आयातित पूंजीगत माल के मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी फीस के एकमुश्त संदाय को प्रथम वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 10% की दर से परिशोधित किया जाएगा;

(ग) रत्न और आभूषण इकाईयां मौजूदा विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रियाओं की हैंड बुक में निर्धारित न्यूनतम मूल्य वृद्धि प्राप्त करेंगी परंतु यह और कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति के लिए सेवा इकाई के रूप में कार्यरत नामनिर्दिष्ट एजेंसियाँ केवल सकारात्मक निवल विदेश विनिमय की, आवश्यकता के अधीन होंगे; और

(घ) रत्न और आभूषण इकाईयां मौजूदा विदेश व्यापार नीति या प्रक्रियाओं की हैंड बुक में निर्धारित न्यूनतम मूल्य वृद्धि प्राप्त करेंगी और इसकी गणना नियमानुसार की जाएगी :

$$\text{मूल्य वृद्धि} = \frac{\text{क-ख}}{\text{ख}} \times 100$$

जहां; -

क = वसूल किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य या प्राप्त किए गए प्रदाय का सड़क और रेल पर भाड़ा मूल्य

ख = निर्यात उत्पाद में अंतर्विष्ट सोना या चांदी या प्लेटिनम जैसी निविष्टियों (जिसके अन्तर्गत घरेलू रूप से उपाप्त भी है) रत्नों आदि जैसे अन्य मदों के मूल्य के साथ अनुज्ञेय अपशिष्ट सहित, का मूल्य। जहां कहीं सोना उधार पर अभिप्राप्त किया जाता है वहाँ मूल्य के अन्तर्गत विदेशी प्रदायों के लिए निःशुल्क विदेशी मुद्रा में संदत्त व्याज भी होगा :

परन्तु जहां कोई इकाई प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या वास्तविक कठिनाई के कारण जो इकाई के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो के कारण, शुद्ध विदेशी विनिमय को प्राप्त करने में असमर्थ है शुद्ध विदेशी विनिमय उपार्जन की गणना के लिए पांच वर्ष के ब्लॉक अवधि, को मामला - दर - मामला आधार पर, बोर्ड के अनुमोदन द्वारा और आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

8. उक्त नियम में, नियम 80 में, 'फ्री ऑन बोर्ड' शब्दों के बाद “का अनुमोदन” शब्दों का लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियम में, प्ररूप झ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थातः -

“प्ररूप- झ

इकाईयों के लिए वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट

अवधि-----

(नियम 22 देखें)

रिपोर्ट करने की अवधि : वार्षिक (अप्रैल-मार्च)
ऑनलाइन फाइल की गई एपीआर की आईडी : _____

भाग- I

1. क) इकाई का नाम और कारखाने का पता :
- ख) एलओए संख्या तथा तारीख :
- ग) उत्पादन शुरू होने की तिथि :
- घ) स्थायी ईमेल आईडी :

2. विनिर्माण/ सेवा क्रिया - कलाप की मद

व्यतिक्रम सेवाओं के अलावा अनुमोदित सेवाएं

3. निर्यात (अंतर्वाह) (रु. लाख में) :
- क) वर्ष के लिए निर्यात का एफओबी मूल्य (निर्यात की मदों को इंगित करें)
- ख) नियम 53 क के अधीन की गई आपूर्ति का मूल्य ('क' से 'ट') :
- ग) रिपोर्ट के अधीन वर्ष के लिए निर्यात का कुल मूल्य (क + ख) :
- घ) पाँच वर्ष की अवधि के लिए निर्यात का संचयी मूल्य :
- ड.) निर्यात के देश :
4. आयात (बहिर्वाह) (रूपए लाख में) :
- क. उपयोग किया गया कच्चा माल और अन्य निविष्टि :
- (क) आयातित कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, घटकों, पैकिंग सामग्री, सेवाओं आदि का अथ शेष :
- (ख) वर्ष के दौरान आयातित कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, घटकों, पैकिंग सामग्री, सेवाओं आदि का सीआईएफ मूल्य :
- (ग) कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, घटकों, पैकिंग सामग्री, सेवाओं आदि का संचयी मूल्य :
- (घ) वर्ष के दौरान एसईजेड / ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी में अन्य इकाइयों से प्राप्त आयातित कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, घटकों, पैकिंग सामग्री आदि या तैयार माल / सेवाओं का मूल्य :
- (ड.) कुल (ग + घ) :
- (च) वर्ष के दौरान एसईजेड / ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी में अन्य इकाइयों को हस्तांतरित आयातित कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, घटकों, पैकिंग सामग्री आदि या तैयार माल / सेवाओं का मूल्य :
- (छ) आयातित कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, घटकों, पैकिंग सामग्री, सेवाओं आदि का अंत शेष :
- (ज) वर्ष के दौरान वास्तव में खपत किया गया आयातित कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, घटकों, पैकिंग सामग्री, सेवाओं आदि का मूल्य {(ई) - [च + छ]}
- रत्न और आभूषण इकाई प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को वजन (किलोग्राम) में चांदी, प्लेटिनम और अन्य कीमती वस्तुओं की राशि का उल्लेख करें**
- ख. पूंजीगत वस्तुएं
- (i) रिपोर्ट के अधीन वर्ष के अंत तक पूंजीगत वस्तुओं के आयात और पुर्जों का वर्ष-वार सीआईएफ मूल्य।
- (ii) वर्ष के दौरान एसईजेड / ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी में अन्य इकाइयों से प्राप्त आयातित पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य
- (iii) कुल (i) + (ii)

- (iv) वर्ष के दौरान एसईजेड /ईओयू /ईएचटीपी /एसटीपी में अन्य इकाइयों को हस्तांतरित आयातित पूंजीगत वस्तुओं, और पुर्जों का मूल्य
- (v) वर्ष के दौरान आयातित पूंजीगत वस्तुओं और पुर्जों का कुल मूल्य :
- (iii) - (iv)
- (vi) विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम _____ के अनुसार एनएफई गणनाओं के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं का लिया गया आनुपातिक परिशोधित मूल्य :
5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का अन्य बहिर्वाह (स्वामित्व, तकनीकी जानकारी शुल्क, लाभांश / लाभ का प्रत्यावर्तन, बिक्री कमीशन का भुगतान, विदेशी उधारों पर ब्याज, आदि)
6. कुल बहिर्वाह [4.क. (ज) + 4.ख. (vi) + 5]
7. वर्ष के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा की कमाई [3. (ग) -6]
8. पिछले वर्ष के अंत में शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की स्थिति
9. वर्ष की अवधि के लिए संचयी शुद्ध विदेशी मुद्रा की कमाई [7 + 8]
- टिप्पण : एनएफई की गणना के विवरण के लिए, कृपया नियम 53 का संदर्भ लें :
10. वर्ष के दौरान मूल्य परिवर्धन उपलब्धि (रत्न और आभूषण इकाइयों के लिए लागू) (मूल्य परिवर्धन की गणना के लिए, कृपया नियम 53 का संदर्भ लें) :
- (कृपया अलग से मूल्य परिवर्धन गणना शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो, विधिवत रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित)

भाग II

1 डीटीएबिक्री	मूल्य	(रू. लाख में)
(क) तैयार वस्तुओं/ सेवाओं की बिक्री	:	
(ख) अस्वीकृत वस्तुओं की बिक्री	:	
(ग) उपोत्पादन की बिक्री की बिक्री	:	
(घ) अपशिष्ट / रद्दी / शेषांश	:	
(ड) कुल	:	
2. उद्यम की पूंजी संरचना		
क. i) प्राधिकृत पूंजी	:	
ii) प्रदत्त पूंजी	:	
(ख) विदेशी निवेश: -	एफडीआई	एनआरआई
क) अनुमोदित		
ख) वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह		

ग) 5 वर्षों के लिए संचयी वास्तविक निवेश

3. रोज़गार पुरुष महिला

4. क्षेत्र में निवेश (आरंभ से) (रुपए लाख में)

क) भवन _____

ख) संयंत्र एवं मशीनरी _____

(i) स्वदेशी _____

(ii) आयात सीआईएफ मूल्य _____

(iii) कुल (i) + (ii) _____

5. अन्य सूचना :

(1) बाह्य वाणिज्यिक उधारी

पिछले वर्ष के अंत तक लंबित बाह्य वाणिज्यिक उधारी

(क) तीन वर्षों से कम राशि डॉलर में :

(ख) तीन वर्षों से अधिक राशि डॉलर में :

पिछले वर्षों सहित विदेशी मुद्रा वसूली के लिए लंबित मामले, अगर कोई हो

निर्यात की तिथि

आयातक का नाम

(2) पता

राशि

(हस्ताक्षर)

कंपनी की मुहर के साथ

प्ररूप : - एपीआर के लिए प्रारूपों में दी गई सूचना इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अधिप्रमाणित और चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए । "।

[फा. सं. सी-2 / 2/2018 -एसईजेड]

बी.बी स्वैन, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 10 फरवरी, 2006 सा.का.नि 54(अ) के द्वारा प्रकाशित और अंतिम संशोधन तारीख 31 जनवरी, 2019 सा.का.नि. 95(अ), के द्वारा किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)**NOTIFICATION**

New Delhi, the, 7th March, 2019

G.S.R. 200(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Special Economic Zones (2nd Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred as the said rules), in rule 3, after the words ‘National Security Clearance’, the words ‘, wherever necessary,’ shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (2), for clause (i) the following clause shall be substituted, namely: -

‘(i) the proposal meets with the positive net foreign exchange earning requirement. In addition, prescribed value addition earning requirement, as the case may be, shall apply.’

4. In the said rules, in rule 19-

(A) in sub-rule (6A), in clause (1), -

(i) for the words “Board of Approval” the word “Board” shall be substituted.

(ii) for the proviso the following proviso shall be substituted, namely: -

‘Provided that in case an application is submitted after the said period of two months, reasonableness of the delay shall be examined on the merits and circumstances of the case and the request for renewal of Letter of Approval shall be decided by the Development Commissioner.’

(B) for sub rule (6B), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(6B) The process of renewal of Letter of Approval shall take into account the efforts made and the results achieved or status of the following criteria, namely:-

- (i) Export performance of the Unit in the last block.
- (ii) Employment generated.
- (iii) Instance of violation of applicable statutes related to the functioning of the Unit.
- (iv) Cases of default, if any, of statutory payments.
- (v) Undertaking of any activity not sanctioned or approved by the Development Commissioner.
- (vi) The decision of the Development Commissioner or Approval Committee in this regard shall be final and binding on the Unit except in cases where the Unit prefers an appeal before the Board of Approval, in accordance with rule 55.

5. In the said rules, in rule 43, for the proviso occurring after clause (d), the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that, -

(i) Employees of Information Technology and Information Technology enabled Services Special Economic Zone units and Information Technology and Information Technology enabled Services units registered as Other Service Provider with Department of

Telecommunications, employees temporarily in-capacitated, employees travelling and offsite employees of Special Economic Zones may be permitted to work from home or from a place outside the Special Economic Zone subject to the following conditions, namely:-

- (a) A regular employee of the Special Economic Zone unit, who has been issued identity card as per sub-rule (2) of rule 70 shall be authorised by the Special Economic Zone unit to undertake the work pertaining to that unit.
 - (b) The work to be performed by the employee permitted to work from home shall be as per the services approved for the Special Economic Zone unit, and the work is related to a project of the Special Economic Zone unit.
 - (c) For the purpose of work from home, Special Economic Zone unit shall provide laptop or desktop and secured connectivity (for e.g Virtual Private network, Virtual Desktop Infrastructure) to establish a connection between the employee and work related to the project of the Special Economic Zone unit.
 - (d) Special Economic Zone unit shall ensure export revenue of the resultant products or services to be accounted for by the Special Economic Zone unit to which the employee is tagged and at no given point shall work from home involve the export of services from outside the Special Economic Zone unit.
 - (e) Once the employee ceases to be part of the project of Special Economic Zone unit, the employee shall be untagged from the respective Special Economic Zone unit and the unit shall surrender the I-Card to Specified Officer as per sub-rule (2) of rule 70.
- (ii) Information Technology and Information Technology enabled Services Units in Domestic Tariff Area shall carry out their job-work in a Special Economic Zone Unit by following the procedure as laid down in (i) above.
- (iii) For Special Economic Zone units registered as Other Service Providers with Department of Telecommunications and availing the benefit of Work from Home, the laid down Other Service Provider guidelines issued by Department of Telecommunications and amended from time to time, shall be followed by Special Economic Zone units. ”.

6. In the said rules, in rule 46, in sub-rule (1), in clause (c), after the words ‘Central Board of Indirect Taxes and Customs’, the words ‘for the scheme’ shall be inserted.

7. In the said rules, for rule 53, the following rule shall be substituted, namely: -

“53. Net Foreign Exchange Earnings. — The Unit shall achieve Positive Net Foreign Exchange to be calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of production according to the following formula, namely:—

Positive Net Foreign Exchange = A - B > 0

Where, —

A : is Free on Board value of exports, including exports to Nepal and Bhutan against freely convertible currency, by the Unit and the value of following supplies of their products, namely:—

- a. supply of goods against Advance Authorisation or Advance Authorisation for annual requirement or Duty Free Import Authorisation under the Duty Exemption or Remission scheme under the Foreign Trade Policy;
- b. supply of capital goods to holders of licence under the Export Promotion Capital Goods Scheme under the Foreign Trade Policy;
- c. supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, from time to

- time, under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies or funds, where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;
- d. supply of goods to any project or for any purpose in respect of which the Ministry of Finance notifies from time to time, permitting import of such goods at zero customs duty;
 - e. supply of goods to United Nations or International Organisations for their official use or supplied to the projects financed by the said United Nations or an International Organisation approved by Government of India and the list of such organisations and conditions applicable to such supplies is notified by Ministry of Finance from time to time;
 - f. supply of goods to nuclear power projects provided they are as per the conditions stipulated in Foreign Trade Policy;
 - g. supply against special entitlements of duty free import of goods under the Foreign Trade Policy;
 - h. export of services by services units including services rendered within Special Economic Zone or services rendered in the Domestic Tariff Area and paid for in free foreign exchange or such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by the Reserve Bank of India;
 - i. supply of Information Technology Agreement items and notified zero duty telecom or electronic items, namely, Colour Display Tubes for monitors and Deflection components for colour monitors or any other items as may be notified by the Central Government;
 - j. supply to other Units and Developers in the same or other Special Economic Zone or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit provided that such goods and services are permissible for import or procurement by such Units and Developers;
 - k. supply of goods against free foreign exchange by a Free Trade and Warehousing Zone Unit.

Explanation. - For removal of doubts, it is hereby clarified that the supplies under clause (j) shall be against procurement certificate, as applicable and the supplies under clauses (d) to (g) shall be as per the terms and conditions of the respective duty exemption as notified by the Central Government, in the Ministry of Finance.

B : consists of sum of the following—

- (a) sum total of the Cost Insurance and Freight value of all imported inputs used for authorised operations during the relevant period and the Cost Insurance and Freight value of all imported capital goods including goods purchased on high seas basis even though paid for in Indian Rupees and the value of all payments made in foreign exchange by way of export commission, royalty, fees, dividends, interest on external commercial borrowings during the first five year period or any other charges;
- (b) value of goods obtained from other Unit or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or from bonded warehouses or procured from international exhibitions held in India or precious metals procured from nominated agencies;

(c) the Cost Insurance Freight value of the goods and services, including pro-rata Cost Insurance Freight of capital goods, imported duty free or leased from a leasing company or received free of cost or on loan basis or on transfer for the period they remain with the Unit;

Explanation. - For the purposes of clause (a), the expression “inputs” mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials;

(d) for annual calculation of Net Foreign Exchange, value of imported capital goods and lump sum payment of foreign technical know-how fee shall be amortised at the rate of ten per cent. every year from the first year to the tenth year;

C: Gems and Jewellery units shall achieve minimum Value Addition as laid down in prevailing Foreign Trade Policy or Hand Book of Procedures:

Provided that the Nominated agencies working as a service unit for precious metals supply within Special Economic Zone shall be subjected to the requirement of positive Net Foreign Exchange only; and

D: For Gems and Jewellery, the minimum Value Addition shall be in terms of prevailing Foreign Trade Policy or Hand Book of Procedures and it shall be calculated as under:-

$$VA = \frac{A-B}{B} \times 100$$

Where, -

A = Free on Board value of the export realised or Freight on Road and Rails value of supply received;

B = Value of inputs such as gold or silver or platinum content in export product plus admissible wastage along with value of other items, such as gemstone etc. wherever gold has been obtained on loan basis, value shall also include interest paid in free foreign exchange to foreign supplies:

Provided that where a Unit is unable to achieve Net Foreign Exchange due to adverse market conditions or any ground of genuine hardship having adverse impact on functioning of the Unit, the five years block period for calculation of Net Foreign Exchange earnings may be extended by the Board of Approval for a further period of upto one year, on a case to case basis.”.

8. In the said rules, in rule 80, the words “of Approval” shall be omitted.

9. In the said rules, for Form I, the following Form shall be substituted, namely:-

“Form-I

ANNUAL PERFORMANCE REPORT FOR UNITS

Period-----

(See rule 22)

PERIOD OF REPORTING: ANNUAL (APRIL-MARCH)

ID of online APR filed: _____

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | a) Name and factory address of the Unit | : | |
| | b) LOA No. and Date | : | |
| | c) Date of commencement of Production | : | |
| | d) Permanent email ID | : | |
| 2. | Item of manufacture/ service activity | : | |
| | Services approved other than default services | : | |

3. EXPORT (INFLOW) (Rs. In Lakhs)
- a) FOB value of exports for the Year (indicate items of exports) :
- b) Value of supplies made under Rule 53A ('a' to 'k') :
- c) Total value of exports for the year under report (a+b) :
- d) Cumulative value of exports for the five year period :
- e) Countries of exports :
4. IMPORT (OUTFLOW) (Rs. in Lakhs)
- A. Raw material and other inputs utilised
- (a) Opening balance of imported raw material, consumables, components, packing material, services etc., :
- (b) CIF value of raw material, consumables, components, packing material, services etc. imported during the year :
- (c) Cumulative value of raw materials, consumables, components, packing materials, services etc. :
- (d) Value of imported raw material, consumables, components, packing material etc. or finished goods/ services received from other units in SEZs/EOUs/EHTPs/STPs during the year :
- (e) Total (c+d) :
- (f) Value of imported raw material, consumables, components, packing material etc. or finished goods/services transferred to other units in SEZs/EOUs/EHTP/STP during the year :
- (g) Closing balance of imported raw material, consumables, components, packing material, services etc. :
- (h) Value of imported raw material, consumables, components, packing material, services etc. actually consumed during the year { (e)-[f+g] } :
- Gems and jewellery unit to specify the amount of gold, silver, platinum and other precious commodities in weight (kilograms) as on 31st March of the relevant financial year. :
- B. Capital goods
- (i) Year-wise CIF value of capital goods imports and spares till end of the year under report. :
- (ii) Value of imported Capitals goods received from other units in SEZ/EOU/EHTP/STP during the year :
- (iii) Total (i) + (ii) :
- (iv) Values of imported Capital goods, and spares transferred to other units in SEZ/EOU/EHTP/ STP during the year :
- (v) Total value of imported capital goods and spares during the year (iii) – (iv) :
- (vi) Proportionate amortized value of imported capital goods taken for NFE calculations as per rule _____ of Special Economic Zones Rules, 2006 :

5. Other outflow of Foreign Exchange (Royalty, technical know-how fee, repatriation of Dividend/ Profits, Payment of Sales Commission, Interest on overseas borrowings, etc.) during the year :
6. Total outflow [4.A.(h) + 4.B.(vi) + 5]
7. Net Foreign Exchange Earning for the year [3.(c)-6]
8. Net Foreign Exchange Earning position at the end of previous year :
9. Cumulative Net Foreign Exchange Earning for the year period [7 + 8]
- Note: For details of calculation of NFE, please refer to Rule 53 :
10. Value Addition Achievement during the year (applicable for Gem & Jewellery Units) :
- (For calculation of Value Addition, please refer to Rule 53) :
- (Please attach a separate Value Addition Calculation sheet, if required, duly certified by Chartered Accountant or Cost Accountant.)

Part-II

- | | | | |
|----|---|------------|-----------------------|
| 1. | DTA SALES | Value | (Rs. in lakhs) |
| | (a) Sale of finished goods/services | : | |
| | (b) Sale of rejects | : | |
| | (c) Sale of by product | : | |
| | (d) Sale of Waste/Scrap/Remnant | : | |
| | (e) Total | : | |
| 2. | Capital structure of the enterprise | | |
| | A. i) Authorised capital | : | |
| | ii) Paid up capital | : | |
| | B. Overseas investments:- | <u>FDI</u> | <u>NRI</u> |
| | a) Approved | | |
| | b) Actual Inflow during the year | | |
| | c) Cumulative actual investment for 5 years | | |
| 3. | Employment | Male | Female |
| 4. | Investment in the Zone (SINCE INCEPTION) | | <u>(Rs. In lakhs)</u> |
| | a) Building | _____ | |
| | b) Plant and Machinery | | |
| | (i) Indigenous | _____ | |
| | (ii) Import CIF value | _____ | |
| | (iii) Total (i) + (ii) | _____ | |
| 5. | OTHER INFORMATION: | | |
| | (1) External commercial borrowing | | |

External commercial borrowing pending at the
end of last year

(a) Less than three years	Amount in \$:
(b) More than three years	-do-	:

(2) Cases pending for foreign exchange realization,
including those of previous years, if any.

Date of export	:
Name of importer	:
Address	:
Amount	:

(SIGNATURE)
with Seal of Company

Note : The information given in the formats for Annual Performance Reports should be authenticated by the authorised signatory of the unit and certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant.”.

[F. No. C-2/2/2018-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* number G.S.R. 95(E), dated the 31st January, 2019.